# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

## राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च 2024

| मिसल नं0 | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 74 / प्रा0पत्र / 2023 | 03.07.2023 | 09.03.2024 |

कमला बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री बिशना पत्नि गोपाल लाल जाति मेहर नि. साथेली हाल निवासी अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी।
किशन गोपाल उम्र 68 वर्ष पुत्र बिशना जाति मेहर निवासी साथेली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
किशोर उम्र 67 वर्ष पुत्र बिशना जाति मेहर निवासी साथेली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
गीता उम्र 52 वर्ष पुत्री बिशना जाति मेहर निवासी ग्राम साथेली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।

.......प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थियाः— ग्यारसी लाल
अधिवक्ता अप्रार्थीः— पेरोकार सरकार

— : : निर्णय : : —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रा0पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों की पैतृक खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 322 रकबा 0.0324 हैक्टे., ख.सं. 323 रकबा 0.4047 हैक्टे., ख.सं. 354/848 रकबा 0.1052 हैक्टे., ख.सं. 573 रकबा 0.8256 हैक्टे., ख.सं. 576 रकबा 0.2428 हैक्टे., ख.सं. 576/850 रकबा 0.0567 हैक्टे., ख.सं. 945/620 रकबा 0.9632 हैक्टे., ख.सं. 973/720 रकबा 1.7159 हैक्टे. कुल किता 8 कुल रकबा 4.3465 हैक्टेयर वाके ग्राम साथेली पटवार मण्डल लीलेडा व्यासान तहसील तालेड़ा में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण 1 लगायत 4 तक के सभी खातेदारों की जाति मेहर बलाई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि प्रार्थीगणों के समस्त दस्तावेजों में जो लोक दस्तावेज है उनमें जाति मेहर लिखा हुआ है। प्रार्थीगण 1 लगायत 4 की जाति मेहर है जो की सही है। प्रार्थीगण 1 लगायत 4 तक ने तहसीलदार तालेडा से प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति मेहर बलाई के स्थान पर मेहर दर्ज करने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा आज दिन तक उक्त जाति संसोधन करने बाबत् कोई कार्यवाही अगल में नही लाई गई जिस कारण प्रार्थीगण को अपने पैतृक संयुक्त खातेदारी की उपरोक्त भूमि पर लोन प्राप्त करने, कृषि भूमि का विकास करने, हस्तांतरण करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। उक्त वाद का कारण आज से लगभग 25 दिन पूर्व तहसीलदार तालेड़ा ने प्रार्थीगण की जाति राजस्व रिकॉर्ड में मेहर बलाई के स्थान पर मेहर दर्ज करने से इनकार कर दिया तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगणों की जाति मेहर बलाई के स्थान पर मेहर दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी [illegible] जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा [illegible] किया कि [illegible] राजस्व रेकार्ड खसरा संख्या 322 रकबा 0.0324 हैक्टे., ख.सं. 323 रकबा [illegible] हैक्टे., ख.सं. 354/848 रकबा 0.1052 हैक्टे., ख.सं. 573 रकबा 0.8256 [illegible] 0.2428 हैक्टे., ख.सं. 57[illegible] रकबा 0.0567 हैक्टे., ख.सं. 945/620 रकबा [illegible] /720 रकबा 1.7159 हैक्टे. कुल किता 8 कुल रकबा 4.3465 हैक्टेयर वाके ग्राम साथेली पटवार मण्डल लीलेडा व्यासान में [illegible] किशनगोपाल, किशोर, पुत्र बिशना कमला व गीता पुत्रिया बिशना की जाति मेहर बलाई दर्ज है जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार इनकी जाति मेहर है तथा दस्तावेजों में भी जाति मेहर दर्ज है। जिसे मेहर बलाई के स्थान पर मेहर किया जाना उचित है।

कार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थीगण की जाति मेहर बलाई के स्थान पर मेहर े की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सूनी गई।

प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में घर वालो एवं राजस्व कार्मिको के द्वारा संवहन व गलती से फोती नामान्तकरण के समय प्रार्थीगणों की जाति मेहर बलाई अंकित कर दी गई थी जो कि आज तक राजस्व रेकार्ड में अंकित चली आ रही है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थी के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार जाति संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी खसरा संख्या 322 रकबा 0.0324 हैक्टे., ख.सं. 323 रकबा 0.4047 हैक्टे., ख.सं. 354/848 रकबा 0.1052 हैक्टे., ख.सं. 573 रकबा 0.8256 हैक्टे., ख.सं. 576 रकबा 0.2428 हैक्टे., ख.सं. 576/850 रकबा 0.0567 हैक्टे., ख.सं. 945/620 रकबा 0.9632 हैक्टे., ख.सं. 973/720 रकबा 1.7159 हैक्टे. कुल किता 8 कुल रकबा 4.3465 हैक्टेयर वाके ग्राम साथेली पटवार मण्डल लीलेडा व्यारान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में प्रार्थीगणों की जाति मेहर बलाई ही अंकित है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र किशोर पुत्र बिशना एवं अन्या दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों की जाति मेहर है जो कि सही है किन्तु दौराने रेकार्ड में अमल दरामद प्रार्थीगणों की जाति मेहर बलाई अंकित कर दी गई जबकि प्रार्थीगणों की सही जाति मेहर ही है। मौका रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थीगणों की जाति मेहर होना अंकित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में खसरा संख्या 322 रकबा 0.0324 हैक्टे., ख.सं. 323 रकबा 0.4047 हैक्टे., ख.सं. 354/848 रकबा 0.1052 हैक्टे., ख.सं. 573 रकबा 0.8256 हैक्टे., ख.सं. 576 रकबा 0.2428 हैक्टे., ख.सं. 576/850 रकबा 0.0567 हैक्टे., ख.सं. 945/620 रकबा 0.9632 हैक्टे., ख.सं. 973/720 रकबा 1.7159 हैक्टे. कुल किता 8 कुल रकबा 4.3465 हैक्टेयर वाके ग्राम साथेली पटवार मण्डल लीलेडा व्यासान मे प्रार्थीगण कमला, किशन, किशोर, गीता पिसरान बिशना की जाति मेहर बलाई के स्थान पर मेहर संशोधित किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या...01...........

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या....01..........
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:17:43 IST
Reason: SelfAttested